

Uttar Pradesh Shasan  
Nagar Vikas Anubhag-2

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 1337/9-2-2022-12(Seema Vistar)/2022, dated, 17-10-2022 for general information.

NOTIFICATION

No. 1337 /9-2-2022-12(seema vistar)/22  
Lucknow: Dated: 17 October, 2022

WHEREAS, notification no.908/9-2-22-12(seema vistar)/22 dated, September, 07, 2022 was published in the Gazette to invite objections and suggestions for including the areas specified in Schedule-1 below in the smaller urban area of Municipal Council Nawabganj, district Bareilly as required under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no.2 of 1916);

AND WHEREAS the Objections and suggestions received in pursuance of the said notification have been disposed of by Government order no.1228/9-2-22-12(seema vistar)/2022, dated, October, 03, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no.2 of 1916), the Governor is pleased to include the area specified in

Schedule-1 below in the smaller urban area of Municipal Council Nawabganj, district Bareilly for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India and to direct under clause (d) of Article 243-P of the Constitution of India that the areas specified in Schedule 2 below shall be the territorial area of Municipal Council Nawabganj, district Bareilly.

### **SCHEDULE-1**

The area being included in the smaller urban area of Municipal Council Nawabganj District Bareilly :-

EAST -

Village Yakubpur :-	Gata No. 1 To 885 (whole village)
	Total Gata No. 885
	Total Area – 248.715 Hectare

West -

Village Bahore Nagla :-	Gata No. 01 To 807 (whole village)
	Total Gata No. 807
	Total Area – 342.573 Hectare

The total gata nos. of gram Yakoobpur and gram Bahore nagla are merged .

## SCHEDULE -2

The Territorial area of Municipal Council Nawabganj District Bareilly after including area specified in Schedule -1

- East - Till the Border of Gram Jyora Makrandpur  
West - Till the Border of Gram Sijoulia  
North - Till the Border of Gram Indhjagir  
South - Till the Border of Gram Richhola Kifayatullah

Total Areas of present Municipal Council:- 218.256 Hectare

Total Areas after being including in the transitional area of Municipal Nawabganj, District Bareilly-809.544 Hectare.

By order,



Amrit Abhijat  
(Principal Secretary)

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-2  
संख्या- 1337 / नौ-2-22-12(सीमा विस्तार)/2022  
लखनऊ : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बरेली के लघुतर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-908/9-2-2022-12(सीमा विस्तार)-2022, दिनांक 07 सितम्बर, 2022 गजट में प्रकाशित की गई थी;

और चूँकि उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या-1228/9-2-22-12(सीमा विस्तार)/2022, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बरेली के लघुतर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं और भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (घ) के अधीन निदेश देती हैं कि नीचे अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बरेली के प्रादेशिक क्षेत्र होंगे।

## अनुसूची-1

नगर पालिका परिषद नवाबगंज बरेली के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र:-

पूरब

ग्राम याकूबपुर	गाटा सं० 1 से 885 तक (सम्पूर्ण ग्राम) कुल गाटा सं० 885 कुल क्षेत्रफल 248.715 हेक्टेअर
----------------	---

पश्चिम

ग्राम- बहोर नगला	गाटा सं० 01 से 807 तक (सम्पूर्ण ग्राम) कुल गाटा सं० 807 कुल क्षेत्रफल 342.573 हेक्टेअर
------------------	--

ग्राम-याकूबपुर व ग्राम बहोरनगला के कुल गाटा संख्याओं को आमेलित किया गया है।

## अनुसूची-2

अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के पश्चात नगर पालिका परिषद नवाबगंज बरेली के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्र:-

- पूरब - ग्राम ज्योरा मकरन्दपुर की सीमा तक  
पश्चिम - ग्राम सिजौलिया की सीमा तक  
उत्तर - ग्राम ईधजागीर की सीमा तक  
दक्षिण - ग्राम रिछोला किफायतुल्ला की सीमा तक

वर्तमान नगर पालिका परिषद, का कुल क्षेत्रफल 218.256 हेक्टेअर नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बरेली के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् कुल क्षेत्रफल 809.544 हेक्टेअर।

आज्ञा से,

  
अमृत अभिजात  
प्रमुख सचिव।

**संख्या-1337(1)/नौ-2-2022, तददिनांक**

अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उक्त अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में दिनांक 17.10.2022 को प्रकाशित कराकर, मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव।

**संख्या- 1337 (2)/नौ-2-2022, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/नियोजन/कार्मिक/पंचायतीराज/आवास एवं शहरी नियोजन/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (2) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ।
- (3) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- (7) जिलाधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
- (8) अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद-बरेली।
- (9) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद-बरेली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- (10) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (11) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को अन्तिम अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सहित) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



( महावीर प्रसाद )

अनु सचिव।

**संख्या-1337(3)/नौ-2-2022, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ को प्रेषित:-

- (1) रजिस्ट्रार, जनरल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) सचिव, भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली।

आज्ञा से,



( महावीर प्रसाद )

अनु सचिव।